मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2018

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सायबर कोषालय के साथ इंटीग्रेशन के संबंध में ।

संदर्भ- क्रमांकः एफ 11-7/2016/नियम/चार, दिनांक 04 जुलाई 2016.

—••—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा अनुरोध था कि सॉयबर कोषालय से पेंमेंट गेट-वे का उपयोग न करते हुए सीधे किसी ऐजेंसी बैंक का गेट-वे उपयोग कर रहे विभागों द्वारा सॉयबर कोषालय के माध्यम से पेंमेंट गेट-वे का उपयोग करने की सुविधा दिनांक 31-3-2017 तक अनिवार्यतः कर ली जाए । इस हेतु विभाग द्वारा आवश्यक इंटीग्रेशन कोषालय सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत सायबर कोषालय से किया जायेगा ।

2/ उपर्युक्त अनुसार अभी भी कतिपय विभागों द्वारा इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है । अतः ऐसे विभाग जो कर/करेत्तर राजस्व प्राप्त करते हैं एवं विभागीय वेबसाईट विकसित कर रहे हैं, सायबर कोषालय सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन दिनांक 31-3-2018 तक अनिवार्यतः पूर्ण करें ।

3/ विभाग, जिन्होने अब तक विभागीय पोर्टल की प्रक्रिया विकसित नहीं की है के लिए उनके विभाग से संबंधित सभी लेखा शीर्ष सायबर ट्रेजरी पर उपलब्ध लेखाशीर्ष में है। यदि कोई लेखा शीर्ष सायबर ट्रेजरी पर उपलब्ध न हो/या त्रुटिपूर्ण हो तो लेखाशीर्ष पूर्ण विवरण सहित संचालनालय कोष एवं लेखा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

19/2/18

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त

http://www.Finance.mp.gov.in